उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2

संख्या 2/2016/286/43-2-2016-15/2(2)/2014

लखनऊ दिनांक 22 अगस्त, 2016

विज्ञप्ति

विषय - उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रिक्त दो पदों पर नियुक्ति ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की संरचना आयोग की वेबसाइट **www.upic.gov.in** पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्ते, पद से हटाया जाना आदि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अध्याय-4 में उल्लिखित है। सूचना आयुक्त की शक्तियॉ और कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-5 में वर्णित है।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का एक पद जुलाई, 2014 से रिक्त है, जिस पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या-548/43-2-2014-15/2(2)/2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 निर्गत करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, तत्पश्चपात दिनांक 23 जून, 2016 से सूचना आयुक्त का एक पद और रिक्त हो गया है। इस प्रकार वर्तमान में सूचना आयुक्त के रिक्त कुल दो पदों पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना है।

3- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रोघोगिकी, समाजसेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

4- इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मडंल का सदस्य नही होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बध् नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोडना / बन्द करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा। सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान देय होगें, बशर्ते कि इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उनके द्वारा लिये गये पेंशन / सेवा निवृत्ति लाभ (यदि कोई हो), को समायोजित कर लिया जायेगा।

6- राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना **विवरण प्रपत्र** निर्धारित प्रारूप संलग्नक-1 में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, दरबारी लाल शर्मा भवन, लखनउ-226001 को दिनांक 15 सितम्बर, 2016 सांय 06 बजे तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथवा कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से सांय 06 बजे तक दस्ती पहुंचा कर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं। **दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को सांय 06 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अन्तर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर, 2016 सांय 06 बजे तक भिजवायें।

7- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या-548/43-2-2014-15/2(2)/2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 के सापेक्ष प्राप्त 108 आवेदन पत्रों में से 04 चार अपूर्ण आवेदन पत्रों के आवेदकों को छोडकर शेष आवेदकों को पुन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अपूर्ण आवेदन पत्रों के आवेदकों को पृथक से सूचित कर दिया गया है।

8- प्रार्थना पत्र के साथ अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्नक-2 देना अनिवार्य है, कि जो भी सूचनाऐं एवं प्रमाण-पत्र वह प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, वह सत्य है।

9- प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी रू0 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) का आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक से डाफ्ट के रूप मे जो "प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ " के पक्ष में देय होगा, संलग्न किया जायेगा।

10- प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त सभी बैध/पूर्ण आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी। तत्पश्चात सूचना आयुक्त का चयन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 की धारा-15 की (3)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत मा0 मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर महामहिम राज्यपाल द्वारा की जायेगी।

11- इससे संबंधित सूचनाऐं वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in में प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2) के अन्तर्गत देखी जा सकती है।

संलग्नक-विवरण प्रपत्र/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का प्रारूप ।

एस0 एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर विचारार्थ भेजे जाने वाले विवरण संबंधी प्रपत्र

1- नाम — नवीनतम पासपोर्ट

2- जन्मतिथि — आकार का

3- वर्तमान पता — अभिप्रमाणित फोटो

4- सम्पर्क संख्या

क- दूरभाष एसटीडी कोड सहित

ख- मोबाइल

ग- फैक्स

5- ई- मेल पता

6- शैक्षिक अर्हताएं

7- विशेषज्ञता क्षेत्र

8- वर्तमान व्यवसाय / नौकरी

9- उपलब्धियां

10- कार्य अनुभव संक्षेप में

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य है। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

दिनांक — हस्ताक्षर

स्थान — नाम

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं ---------- पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती ------- ---------- उम्र -------- वर्ष ---------- व्यवसाय ---------- निवासी ---------- प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भांति अवगत हूँ । यदि आवदेन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरूघ् भा0 द0 वि0, 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होउँगा/होउँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधाऐं तत्काल वापस ले ली जाऐं ।

स्थान ---------- आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर ----------

दिनांक ---------- आवेदक / आवेदिका का नाम ----------

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।